न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1099/2024

अनवान : –

1. दाताराम पुत्र हरी सिंह जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
2. महेंद्र सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. रूकमा पत्नी हरीसिंह जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
2. विमला पुत्री हरीसिंह जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
3. बाला पुत्री हरीसिंह जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
4. सन्जू उर्फ सरबती पुत्री हरीसिंह जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
5. मिन्टू पुत्री सरोज पुत्री हरीसिंह जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांक: 03/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 95/93 के खसरा नं. 288 की कुल तादादी 11.9510 है0 भूमि में से वादीगण व प्रतिवादीगण प्रत्येक के 2308/83657 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 83/82 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 29.5930 है0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण प्रत्येक के 1/63 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वादीगण के पिता हरीसिंह पुत्र मामचन्द के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त भूमि विरास्तन वादीगण व प्रतिवादीगण के ब0 हि0 ब0 प्राप्त हुई है। प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 जो कि वादीगण की बहिने है एवं प्रतिवादीया संख्या 5 जो कि वादीगण की मृतक बहिन सरोज की पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों में समक्ष अपने भाईयों/मामा के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार से प्रतिवादीया संख्या 2 ता 5 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 95/93 के खसरा नं. 288 की कुल तादादी 11.9510 है0 भूमि में से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा रोही मौजा रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 83/82 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 29.5930 है0 भूमि में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं 1/63 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या [illegible] यथावत काबिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:35:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य, मृत्यु प्रमाण पत्र हरिसिंह व सरोज दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वादीगण के पिता हरीसिंह पुत्र मामचन्द के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त भूमि विरास्तन वादीगण व प्रतिवादीगण के ब0 हि0 ब0 प्राप्त हुई है। प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 जो कि वादीगण की बहिने है एवं प्रतिवादीया संख्या 5 जो कि वादीगण की मृतक बहिन सरोज की पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों में समक्ष अपने भाईयों/मामा के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार से प्रतिवादीया संख्या 2 ता 5 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 95/93 के खसरा नं. 288 की कुल तादादी 11.9510 है0 भूमि में से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा रोही मौजा रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 [illegible] संख्या 83/82 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 29.5930 है0 भूमि में [illegible] नाम दर्ज भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं 1/63 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:35:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 95/93 के खसरा नं. 288 की कुल तादादी 11.9510 है0 भूमि में से वादीगण व प्रतिवादीगण प्रत्येक के 2308/83657 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 83/82 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 29.5930 है0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण प्रत्येक के 1/63 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वादीगण के पिता हरीसिंह पुत्र मामचन्द के स्वर्गवास के बाद उपरोक्त भूमि विरास्तन वादीगण व प्रतिवादीगण के ब0 हि0 ब0 प्राप्त हुई है। प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 जो कि वादीगण की बहिने है एवं प्रतिवादीया संख्या 5 जो कि वादीगण की मृतक बहिन सरोज की पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों में समक्ष अपने भाईयों/मामा के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार से प्रतिवादीया संख्या 2 ता 5 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 95/93 के खसरा नं. 288 की कुल तादादी 11.9510 है0 भूमि में से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा रोही मौजा रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 83/82 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 29.5930 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं 1/63 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है, वादी के उक्त कथनो को स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल पेश किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार मृतक हरिसिंह के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:35:02 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण के पक्ष में मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 95/93 के खसरा नं. 288 की कुल तादादी 11.9510 है0 भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 ता

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

5 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 83/82 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 29.5930 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/63 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:35:02 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1099/2024

अनवान : –

1. दाताराम पुत्र हरी सिंह जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
2. महेंद्र सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. रूकमा पत्नी हरीसिंह जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
2. विमला पुत्री हरीसिंह जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
3. बाला पुत्री हरीसिंह जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
4. सन्जू उर्फ सरबती पुत्री हरीसिंह जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर।
5. मिन्टू पुत्री सरोज पुत्री हरीसिंह जाति जाट निवासी भोगराना तहसील नोहर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1099 सन 2024 निर्णय दिनांक - 03/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेघसिंहपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 95/93 के खसरा नं. 288 की कुल तादादी 11.9510 है0 भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 83/82 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 29.5930 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 1/63 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:35:02 IST
Reason: SelfAttested